

# झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2015

## विषय सूची

धाराएं ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2015-16 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 55492,95,34,000 (पचपन हजार चार सौ बानबे करोड़ पंचानबे लाख चौतीस हजार) रुपये की निकासी ।
3. विनियोग-।

अनुसूची ।

## झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2015

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -(i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।  
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।  
(iii) यह 1ली अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2015-16 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 55492,95,34,000 (पचपन हजार चार सौ बानवें करोड़ पनचानबें लाख चौतीस हजार) रुपये की निकासी ।- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2015 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 55492,95,34,000 (पचपन हजार चार सौ बानबे करोड़ पंचानबे लाख चौतीस हजार) रुपये की, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी ।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1ली अप्रैल, 2015 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2016 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके सम्बन्ध में विनियोजित की जायेंगी ।

## अनुसूची / Schedule

( धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 &amp; 3 )

मांग/ विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
1	2	3	4	5	6
1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग Agriculture and Sugarcane Development Department	राजस्व/Revenue	8966890000	--	9506890000
		पूंजी/Capital	5400000000	--	
2	पशुपालन विभाग Animal Husbandry Department	राजस्व/Revenue	1732853000	--	1979453000
		पूंजी/Capital	2466000000	--	
3	भवन निर्माण विभाग Building Construction Department	राजस्व/Revenue	1266981000	--	3797481000
		पूंजी/Capital	2530500000	--	
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग Cabinet Secretariat and Coordination Department	राजस्व/Revenue	313543000	--	313543000
		पूंजी/Capital	--	--	
5	राज्यपाल सचिवालय Secretariat of the Governor	राजस्व/Revenue	--	76681000	76681000
		पूंजी/Capital	--	--	
6	निर्वाचन Election	राजस्व/Revenue	454285000	--	454285000
		पूंजी/Capital	--	--	
7	निगरानी Vigilance	राजस्व/Revenue	154807000	--	154807000
		पूंजी/Capital	--	--	
8	नागर विमानन विभाग Civil Aviation Department	राजस्व/Revenue	93787000	--	293787000
		पूंजी/Capital	200000000	--	
9	सहकारी विभाग Co-operative Department	राजस्व/Revenue	1016864000	--	1151864000
		पूंजी/Capital	135000000	--	
10	ऊर्जा विभाग Energy Department	राजस्व/Revenue	14138471000	--	25117471000
		पूंजी/Capital	10979000000	--	
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग Excise and Prohibition Department	राजस्व/Revenue	405596000	--	405596000
		पूंजी/Capital	100000000	--	
12	वित्त विभाग Finance Department	राजस्व/Revenue	450486000	--	1064486000
		पूंजी/Capital	614000000	--	
13	ब्याज संदाय Interest Payment	राजस्व/Revenue	--	34269402000	34269402000
		पूंजी/Capital	--	--	
14	ऋण की वापसी / अदायगी Repayment of Loans	राजस्व/Revenue	--	200000000	22785283000
		पूंजी/Capital	--	22585283000	
15	पेंशन Pension	राजस्व/Revenue	44926100000	--	44926100000
		पूंजी/Capital	--	--	
16	राष्ट्रीय बचत National Savings	राजस्व/Revenue	23889000	--	23889000
		पूंजी/Capital	--	--	
17	वित्त (वणिज्य कर) विभाग Finance (Commercial Tax) Department	राजस्व/Revenue	661088000	--	764818000
		पूंजी/Capital	103730000	--	
18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department	राजस्व/Revenue	12341104000	--	12544178000
		पूंजी/Capital	203074000	--	
19	वन एवं पर्यावरण विभाग Forest and Environment Department	राजस्व/Revenue	4925423000	--	4925423000
		पूंजी/Capital	--	--	
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग Health, Medical Education and Family Welfare Department	राजस्व/Revenue	24904454000	--	29194758000
		पूंजी/Capital	4290304000	--	
21	उच्च शिक्षा Higher Education	राजस्व/Revenue	10018464000	--	10018464000
		पूंजी/Capital	--	--	

## अनुसूची / Schedule

( धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 &amp; 3 )

मांग/ विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संविदा निधि पर प्रभूत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदायक / Voted	प्रभूत / Charged	
1	2	3	4	5	6
22	गृह विभाग Home Department	राजस्व/Revenue	30171855000	--	33096855000
		पूंजी/Capital	2925000000	--	
23	उद्योग विभाग Industries Department	राजस्व/Revenue	3620693000	--	3630693000
		पूंजी/Capital	10000000	--	
24	सूचना एवं जन संपर्क विभाग Information and Public Relation Department	राजस्व/Revenue	915238000	--	921738000
		पूंजी/Capital	6500000	--	
25	संस्थितिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग Institutional Finance and Programme Implementation Department	राजस्व/Revenue	19945000	--	19945000
		पूंजी/Capital	--	--	
26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग Labour, Employment and Training Department	राजस्व/Revenue	14568662000	--	15280662000
		पूंजी/Capital	712000000	--	
27	विधि विभाग Law Department	राजस्व/Revenue	2561425000	--	2561425000
		पूंजी/Capital	--	--	
28	झारखण्ड का उच्च न्यायालय High Court of Jharkhand	राजस्व/Revenue	--	575693000	575693000
		पूंजी/Capital	--	--	
29	खन एवं भूतत्व विभाग Mines and Geology Department	राजस्व/Revenue	357083000	--	417083000
		पूंजी/Capital	60000000	--	
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग Minorities Welfare Department	राजस्व/Revenue	22960000	--	1103460000
		पूंजी/Capital	1080500000	--	
31	संसदीय कार्य Parliamentary Affairs	राजस्व/Revenue	6043000	--	6043000
		पूंजी/Capital	--	--	
32	विधान मंडल Legislature	राजस्व/Revenue	592715000	2601000	595316000
		पूंजी/Capital	--	--	
33	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग Personnel and Administrative Reforms Department	राजस्व/Revenue	224412000	--	244412000
		पूंजी/Capital	20000000	--	
34	झारखण्ड लोक सेवा आयोग Jharkhand Public Service Commission	राजस्व/Revenue	--	68970000	68970000
		पूंजी/Capital	--	--	
35	योजना एवं विकास विभाग Planning and Development Department	राजस्व/Revenue	11462695000	--	11482695000
		पूंजी/Capital	20000000	--	
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग Drinking Water and Sanitation Department	राजस्व/Revenue	11732387000	--	14500287000
		पूंजी/Capital	2767900000	--	
37	राजभाषा Rajbhasha	राजस्व/Revenue	173895000	--	173895000
		पूंजी/Capital	--	--	
38	निबंधन विभाग Registration Department	राजस्व/Revenue	176543000	--	176543000
		पूंजी/Capital	--	--	
39	आपदा प्रबंधन विभाग Disaster Management Department	राजस्व/Revenue	1701185000	--	1701185000
		पूंजी/Capital	--	--	
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग Revenue and Land Reforms Department	राजस्व/Revenue	4299438000	--	4518222000
		पूंजी/Capital	218784000	--	
41	पथ निर्माण विभाग Road Construction Department	राजस्व/Revenue	2334569000	--	32216569000
		पूंजी/Capital	2988200000	--	

## अनुसूची / Schedule

( धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 &amp; 3 )

मांग/ विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			मतदेय / Voted	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
1	2	3	4	5	6
42	ग्रामीण विकास विभाग Rural Development Department	राजस्व/Revenue	31389804000	--	33679804000
		पूंजी/Capital	22900000000	--	
43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग Science and Technology Department	राजस्व/Revenue	907125000	--	2230125000
		पूंजी/Capital	1323000000	--	
44	मानव संसाधन विकास विभाग Human Resource Development Department	राजस्व/Revenue	70581000	--	70581000
		पूंजी/Capital	--	--	
45	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग Information Technology Department	राजस्व/Revenue	1077074000	--	1417074000
		पूंजी/Capital	340000000	--	
46	पर्यटन विभाग Tourism Department	राजस्व/Revenue	385412000	--	1031412000
		पूंजी/Capital	646000000	--	
47	परिवहन विभाग Transport Department	राजस्व/Revenue	1072720000	--	1164220000
		पूंजी/Capital	91500000	--	
48	नगर विकास एवं आवास विभाग Urban Development and Housing Department	राजस्व/Revenue	16556386000	--	16755697000
		पूंजी/Capital	199311000	--	
49	जल संसाधन विभाग Water Resources Department	राजस्व/Revenue	3611026000	--	18300126000
		पूंजी/Capital	14689100000	--	
50	लघु सिंचाई विभाग Minor Irrigation Department	राजस्व/Revenue	929175000	--	6270075000
		पूंजी/Capital	5340900000	--	
51	कल्याण विभाग Welfare Department	राजस्व/Revenue	11355310000	--	13433710000
		पूंजी/Capital	2078400000	--	
52	कला, संस्कृति, खेलकूद, एवं युवा कार्य विभाग Art, Culture, Sports and Youth Affairs Department	राजस्व/Revenue	793620000	--	938420000
		पूंजी/Capital	144800000	--	
53	मत्स्य Fishery	राजस्व/Revenue	411208000	--	744928000
		पूंजी/Capital	333720000	--	
54	डेयरी Dairy	राजस्व/Revenue	1167622000	--	1293322000
		पूंजी/Capital	125700000	--	
55	ग्रामीण कार्य विभाग Rural Works Department	राजस्व/Revenue	10081841000	--	20715841000
		पूंजी/Capital	10634000000	--	
56	पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग Panchayati Raj and N.R.E.P. (Special Divisional) Department	राजस्व/Revenue	15227045000	--	15267045000
		पूंजी/Capital	40000000	--	
57	आवास विभाग Housing Department	राजस्व/Revenue	271637000	--	506637000
		पूंजी/Capital	235000000	--	
58	माध्यमिक शिक्षा Secondary Education	राजस्व/Revenue	12831013000	--	12896513000
		पूंजी/Capital	65500000	--	
59	प्राथमिक एवं जन शिक्षा Primary and Public Education	राजस्व/Revenue	60319818000	--	60469818000
		पूंजी/Capital	150000000	--	
60	सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग Social Welfare, Women and Child Development Department	राजस्व/Revenue	18143836000	--	20683836000
		पूंजी/Capital	2540000000	--	
<b>योग / Total</b>		राजस्व/Revenue	<b>398239081000</b>	<b>35193347000</b>	<b>433432428000</b>
		पूंजी/Capital	<b>98911823000</b>	<b>22585283000</b>	<b>121497106000</b>
<b>महायोग / Grand Total</b>			<b>497150904000</b>	<b>57778630000</b>	<b>554929534000</b>

## उद्देश्य और हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारत का संविधान के अनुच्छेद-204 के उपबंधों के अधीन निमित्त विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि :-

(क) विधान-सभा द्वारा किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित-निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित-निधि में से विनियोजित की जायेगी।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित-निधि में से 55492,95,34,000 (पचपन हजार चार सौ बानबे करोड़ पंचानबे लाख चौतीस हजार) रुपये की राशि का शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि इक्कीसवीं मार्च, 2016 को समाप्त होनेवाले वर्ष में शोधन के दौरान आनेवाले भारों की पूर्ति की जा सके।

( रघुवर दास )  
भार-साधक सदस्य